



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

ऑपरेशन कन्विक्शन के क्रम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर चोरी करने के आरोपी रोबिन को हुई 03 वर्ष के कारावास की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष-2022 में अभियुक्त रोबिन पुत्र महेन्द्र निवासी दहियाबाड़ा कस्बा करनावल थाना सररपुर जनपद मेरठ द्वारा चोरी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके विरुद्ध थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 48/2022 धारा 457/380/411 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिह्नित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 17.02.2025 को मा0 न्यायालय जेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त रोबिन को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 17.02.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद हुए है ।

उक्त के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 60/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-सलमान पुत्र खुर्शेद निवासी भट्टा बस्ती करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-रिहान पुत्र सिराजू निवासी काशीराम कॉलोनी करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री महेन्द्र प्रकाश शर्मा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री देवेन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 292 सिराज खॉन थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-है०का० 692 मोहित कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक 17.02.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 36 पच्चे अवैध देशी शराब उ०प्र० मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 36 पच्चे अवैध देशी शराब उ०प्र० मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु०अ०सं० 59/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अजय पुत्र संजीव निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 36 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 442 मौ0 आफाक थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-का0 937 शिवम शर्मा थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4-का0 250 कोमल चौधरी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

